



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड



विस्तृत केंद्रीय रोजगार सूचना सं. इं एन.: 01/2025



सहायक लोको पायलट (ए एल पी) की भर्ती



भारत सरकार

(रेल मंत्रालय)

रेलवे भर्ती बोर्ड

केन्द्रीय रोजगार सूचना (सीईएन) सं . 01/2025

सहायक लोको पायलट (ए एल पी) की भर्ती

रोजगार समाचार में सांकेतिक सूचना की तारीख	29-03-2025
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिकतारीख	12-04-2025
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिमतारीख	11-05-2025 (23:59 बजे)
प्रस्तुत आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि	13-05-2025 (23:59 बजे)
संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तारीख (कृपया ध्यान दें: 'क्रिएट एन अकॉउंट फॉर्म' में भरे गए विवरण और चुने गए आरआरबी में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं)	14-05-2025 से 23-05-2025 तक

नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन (सभी तरह से पूर्ण) दि. 11-05-2025 को 23.59 बजे तक केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा किए जाने चाहिए।

पद	7वें केवेआ में वेतन स्तर	प्रारंभिक वेतन (₹.)	चिकित्सा मानक	आयु दि. 01-07-2025 तक	कुल रिक्तियां (सभी आरआरबी)
सहायक लोको पायलट (एएलपी)	स्तर - 2	19900	ए-1	18 – 30 वर्ष	9970

आरआरबी-वार एवं रेलवे जोन-वार रिक्तियों का विस्तृत वितरण अनुलग्नक-बी में दिया गया है।

महत्वपूर्ण निर्देश

- कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सीईएन में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें।
- उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक या उससे पहले पद के लिए निर्धारित सभी शैक्षिक और तकनीकी योग्यताएं भरें। निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- आवेदन केवल आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। उम्मीदवारों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए इस विस्तृत सीईएन के अनुलग्नक ए और अनुलग्नक - बी को पढ़ना आवश्यक है। उसके बाद ही, उम्मीदवार को चुने गए आरआरबी के भीतर जोनल रेलवे और पदों के लिए विकल्प चुनना चाहिए। एक बार आवेदन करने और जमा करने के बाद आरआरबी का चयन अंतिम होगा और बाद की तारीख में इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। उम्मीदवार केवल एक ही आरआरबी में आवेदन कर सकते हैं और इस सीईएन में अधिसूचित पद के लिए प्रति उम्मीदवार का केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इस सीईएन के तहत एक से अधिक आवेदन जमा करने वाले आवेदकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें वंचित कर दिया जाएगा।
- उम्मीदवारों की पात्रता केवल ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत विवरणों के आधार पर अनंतिम होगी। आरआरबी पात्रता के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगी, इसलिए, उम्मीदवारी केवल बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। उम्मीदवारों को शैक्षिक/तकनीकी योग्यता, आयु, चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं को ध्यान से देखना होगा और खुद को संतुष्ट करना होगा कि वे पद के लिए पात्र हैं। आरआरबी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय उनकी शैक्षिक योग्यता और आयु/जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेज मांगे जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन के दौरान ईक्यू/आयु/जाति/श्रेणी आदि के प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की जांच के

- बाद, यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे की पुष्टि प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों से नहीं होती है , तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. इसके अलावा, भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके बाद भी , यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के बारे में कोई जानकारी झूठी/गलत है या यदि उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी छिपाई है या उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत खारिज कर दी जाएगी.
- (v) एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/ईबीसी स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क रियायत , आरक्षण, आयु-छूट आदि का दावा करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख, जहां अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, इस सीईएन के अंतर्गत दी गई ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख होगी.
- (vi) **मेडिकल फिटनेस:** उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे एएलपी के पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं. जो उम्मीदवार इस पद के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाते, हैं वे कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी.
- (vii) आयु (दि.01-07-2025 तक): 18 - 30 वर्ष (आयु में छूट के विवरण के लिए कृपया पैरा 5.1 देखें).
- (viii) **आरआरबी का चयन:** इस सीईएन में दर्शाई गई आरआरबी-वार और रेलवे-वार रिक्तियां अनंतिम हैं और संबंधित रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार इनमें वृद्धि या कमी हो सकती है. उम्मीदवार केवल एक आरआरबी चुन सकते हैं और केवल उस चुने हुए आरआरबी के अंतर्गत अधिसूचित रेलवे जोन के लिए अपनी प्राथमिकता दर्शा सकते हैं.
- (ix) उम्मीदवारों के पास भर्ती की पूरी अवधि के दौरान सभी संचार के लिए अपना स्वयं का सक्रिय मोबाइल नंबर और एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ सभी प्रकार का संपर्क केवल एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से ही किया जाएगा.
- (x) ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों में इस सीईएन के लिए दिए गए लिंक पर जाना चाहिए. उम्मीदवारों को केवल एक आरआरबी चुनने और अधिसूचित पदों के लिए केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है. ऑनलाइन आवेदन के दौरान, उम्मीदवार को अकॉउंट बनाने के लिए कहा जाएगा. यदि किसी उम्मीदवार ने अप्रैल 2025 से पहले 2024 के किसी भी भारतीय रेलवे सीईएन के लिए पहले से ही अकॉउंट बनाया है, तो उन्हें लॉग इन करने और इस सीईएन (यानी , सीईएन नंबर 01/2025) के लिए आवेदन करने के लिए उसी अकॉउंट के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना चाहिए. यदि उम्मीदवार ने अब तक " अकॉउंट नहीं बनाया" है, तो उम्मीदवारों को पहले अकॉउंट बनाना होगा. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे अकॉउंट बनाने के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि अकॉउंट बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी. अकॉउंट बनाने के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों के पास सक्रिय व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए. 'क्रिएट एन अकॉउंट' फ़ॉर्म में भरे गए विवरणों (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) में बाद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
- (xi) उम्मीदवारों को सूचित करते हैं कि वे अपने हित में " क्रिएट एन अकॉउंट " चरण के दौरान आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करें. यदि वे इस चरण से चूक गए हैं , तो वे अभी भी "आधार सत्यापित करें" सुविधा का उपयोग कर और अपने ऑनलाइन आवेदन विवरण भरने की प्रक्रिया के दौरान आधार विवरण प्रदान करके प्रमाणित कर सकते हैं. यह कार्रवाई किसी विशेष सीईएन के लिए आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने से पहले किसी भी समय की जानी चाहिए. इससे उम्मीदवारों को भर्ती के विभिन्न चरणों में सहज प्रक्रिया की सुविधा प्राप्त होगी. यदि आवेदक अपनी पहचान और अन्य प्राथमिक विवरणों को वैकल्पिक फोटो आईडी के साथ सत्यापित करते हैं , तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में काफी सख्त और अधिक विस्तृत जांच के अधीन किया जाएगा.
- (xii) **"क्रिएट एन अकॉउंट"** फ़ॉर्म में भरे गए 12 विवरण जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, राष्ट्रीयता, जन्म तिथि, मैट्रिक्युलेशन रोल नंबर और मैट्रीकुलेशन प्रमाणपत्र, क्रमांक , मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र की तारीख और ई-केवार्डीसी को किसी भी स्थिति में, किसी भी स्तर पर संशोधित नहीं किया जा सकता है.

- (xiii) ऑनलाइन आवेदन (सभी प्रकार से पूर्ण) जमा करने और अपेक्षित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद , यदि कोई उम्मीदवार 'क्रिएट एन अकॉउंट' और "चुने हुए आरआरबी" में भरे गए 12 विवरणों को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, बदलना या सही करना चाहता है , तो वह दि.14-05-2025 से दि.23-05-2025 तक प्रत्येक अवसर के लिए 250/- रु. (नॉन रिफंडेबल) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता है. क्रिएट एन अकॉउंट फॉर्म और चुने हुए आरआरबी में भरे गए विवरण को बदला नहीं जा सकता है.
- दि.23-05-2025 के बाद, आरआरबी द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी के संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.
- (xiv) दूसरे चरण के सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग आरआरबी-वार उस आरआरबी के लिए अधिसूचित रिक्तियों के 15 (पंद्रह) गुना की दर से की जाएगी (रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार इसमें वृद्धि या कमी हो सकती है). यह उसी आरआरबी को चुनने वाले उम्मीदवारों के बीच सीबीटी-1 में उनकी योग्यता के आधार पर होगा. कई शिफ्टों में होने वाली परीक्षा के सभी चरणों में अंकों को सामान्य किया जाएगा. यदि एक से अधिक उम्मीदवार कट-ऑफ पॉइंट के बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो वे सभी सीबीटी-2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे.
- (xv) सीबीटी-2 के लिए चयनित उम्मीदवारों को आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों के साथ-साथ एसएमएस और ईमेल (उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर) के माध्यम से सूचित किया जाएगा ताकि वे सीबीटी- 2 में उपस्थित होने के लिए अपने ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकें.
- (xvi) सीबीटी-1/सीबीटी-2/सीबीएटी के लिए केंद्र/शहर का आवंटन और परीक्षा की तारीख तकनीकी और तार्किक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी. उम्मीदवारों को सीबीटी/सीबीएटी में भाग लेने के लिए अन्य शहरों/राज्यों की यात्रा करनी पड़ सकती है. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तारीख/केंद्र/तारीख/शिफ्ट में बदलाव के अनुरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- (xvii) **नेगेटिव मार्किंग:** सीबीटी- 1 और सीबीटी- 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग होगी (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक). कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी) में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी.
- (xviii) **प्रतिबंधित वस्तुएँ:** संचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट (मोबाइल फोन , ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच या कोई अन्य संचार उपकरण या विधियाँ), चूड़ियाँ, चेन, कंगन, श्रवण यंत्र, वॉलेट/पर्स, बेल्ट, जूते, धातु के कपड़े आदि या पेन/पेंसिल जैसी कोई भी स्टेशनरी वस्तुएँ ले जाने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप अयोग्यता के अलावा कानूनी कार्रवाई के साथ और भविष्य की भर्ती परीक्षाओं से भी वंचित किया जाएगा.
- (xix) परीक्षा स्थल पर सामान सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो सकती है. इसलिए , उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन आदि सहित कोई भी कीमती सामान/प्रतिबंधित वस्तु न लाएं.

महत्वपूर्ण: प्रामाणिक और समय पर जानकारी और अपडेट के लिए, उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है (नीचे पैरा 13 (जि) में सूचीबद्ध). नकली वेबसाइटों से सावधान रहें - वे भ्रामक और गलत जानकारी

दे सकते हैं.

1.0 सामान्य निर्देश

- 1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम होगा, बशर्ते कि उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हो.
- 1.2 जो उम्मीदवार वर्तमान में किसी भी आरआरबी/आरआरसी द्वारा वंचित(डिवार) किए गए हैं, उन्हें इस अधिसूचना के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए. भर्ती के किसी भी चरण के दौरान उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा.
- 1.3 जिन उम्मीदवारों को भारत की केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, वे पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए.

- 1.4 इस अधिसूचना के अंतर्गत पद के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आयु, शैक्षिक योग्यता और चिकित्सा मानकों सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से अपेक्षित तकनीकी योग्यता प्राप्त है। निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार पात्र नहीं हैं और इसलिए उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 1.5 वे उम्मीदवार जो इस सीईएन के अंतर्गत एक से अधिक आवेदन जमा करते हैं, उन्हें तुरंत खारिज कर दिया जाएगा और उन्हें आरआरबी और रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी) की सभी भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसी तरह, जो उम्मीदवार सूचना और/या तथ्यों में मामूली बदलाव के साथ एक से अधिक आरआरबी और/या एक ही आरआरबी को कई आवेदन जमा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके आवेदनों को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को आरआरबी और आरआरसी की सभी भावी परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा।
- 1.6 उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास उचित फोटोग्राफ (ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख के अनुसार 2 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) और स्वयं के हस्ताक्षर, नोटिस में उल्लिखित मानक विनिर्देशों के अनुसार या ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड किए गए हों। धूंधले/अयोग्य/गैर-मानक फोटोग्राफ और/या हस्ताक्षर वाले आवेदनों को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में नोटिस किए जाने पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 1.7 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर एक समान और एक जैसे होने चाहिए। हस्ताक्षर हाथ से किए जाने चाहिए, न कि ब्लॉक/कैपिटल (बड़े अक्षरों में) या अलग-अलग अक्षरों में लिखें जाने चाहिए। हस्ताक्षर केवल शुद्ध सफेद पृष्ठभूमि के साथ काली स्याही वाले पेन से लिखें। गैर-मानक हस्ताक्षर छवि (खराब रिजॉल्यूशन, अधूरी छवि, अधूरे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के अलावा अन्य छवि, कोई हस्ताक्षर (कोरा) छवि आदि) भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर देगी। भर्ती के विभिन्न चरणों में अलग-अलग हस्ताक्षरों का उपयोग उम्मीदवारी की अयोग्यता का कारण बन सकता है।
- 1.8 उम्मीदवार की उम्मीदवारी ई-कॉल लेटर जारी करने मात्र से यह नहीं माना जाता कि आरआरबी द्वारा भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा के समय, उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देने से पहले उनके फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रामाणिकता और वास्तविकता के साथ-साथ उनके अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की भी जाँच की जाएगी। उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्रों को उनकी प्रस्तुत जानकारी की प्रामाणिकता के साथ-साथ भर्ती के अगले चरणों यानी पीईटी/मेडिकल परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन में सत्यापित किया जाएगा।
- 1.9 आरआरबी पात्रता शर्तों (मूल दस्तावेजों के संदर्भ में) का सत्यापन केवल तभी हो सकता है जब उम्मीदवार परीक्षा के सभी चरणों में योग्य पाए जाते हैं और दस्तावेज सत्यापन के लिए अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय, आरआरबी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत मूल सहायक दस्तावेजों के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरणों को सत्यापित करेगा। आवेदन में घोषित जानकारी और सहायक दस्तावेजों के बीच कोई विसंगति या पात्रता मानदंडों (जैसे शैक्षिक / तकनीकी योग्यता, आयु, जाति / श्रेणी, चिकित्सा मानक आदि) को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि भर्ती के किसी भी चरण में या बाद में, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने गलत जानकारी दी है या महत्वपूर्ण तथ्यों को दबा दिया है, तो उनकी उम्मीदवारी या नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी, और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवारों को तुरंत सेवा से हटा दिया जाएगा और इसके अलावा, ऐसे उम्मीदवारों को आरआरबी और आरआरसी की सभी भविष्य की परीक्षाओं से भी आजीवन वंचित कर दिया जाएगा।
- 1.10 उम्मीदवारों को अकॉउंट क्रिएट करते समय ऑनलाइन आवेदन में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्मतिथि जैसे एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज है, वैसे ही दर्ज करना होगा।

- (ए) एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा प्रमाणपत्र में उल्लिखित नाम के संबंध में नाम में किसी भी परिवर्तन के मामले में , उम्मीदवार को अपना परिवर्तित हुआ नाम और साथ ही अपना एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा का नाम ऑनलाइन आवेदन में उचित स्थानों पर अलग से सूचित करना चाहिए. हालांकि , अन्य सभी विवरण एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/ 10वीं कक्षा या समकक्ष प्रमाणपत्र से मेल खाने चाहिए और इस तरह के बदलाव की तारीख ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीख से पहले की होनी चाहिए.
- (बी) ऐसे मामलों के लिए, परिवर्तित हुए नाम के साथ किसी भी एक वैध फोटो आईडी के साथ राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज सीबीटी-1/सीबीएटी-2/सीबीएटी/दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय जमा किया जाए.

- 1.11 विस्तृत भर्ती प्रक्रिया पैरा 12 में दी गई है. सीबीटी- 1, सीबीटी-2, सीबीएटी और डीवी की तिथियां पैरा 13(जे) में दिए अनुसार भाग लेने वाले आरआरबी की वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएंगी. सीबीटी- 1, सीबीटी-2, सीबीएटी और डीवी (जैसा लागू हो) के लिए ई-कॉल लेटर केवल संबंधित आरआरबी की वेबसाइटों से डाउनलोड किए जाने चाहिए जैसा कि पैरा 13(जे) में दिया गया है. ई-कॉल लेटर में दर्शाया गया सीबीटी/सीबीएटी केंद्र और तारीख और शिफ्ट अंतिम होगा, और तारीख/समय/स्थान में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.
- 1.12 आरआरबी बिना कोई कारण बताए अतिरिक्त सीबीटी और/या सीबीएटी (जैसा लागू हो) , अतिरिक्त डीवी आदि शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. इसके अलावा , आरआरबी तकनीकी बाधाओं/अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किसी भी सीबीटी/सीबीएटी/डीवी को पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
- 1.13 **निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा:**अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों (यदि आवेदन में विकल्प चुना गया है) को निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास दिया जाएगा , उन्हें चयन के विभिन्न चरणों जैसे सीबीटी/सीबीएटी/डीवी/मेडिकल परीक्षा (जैसा लागू हो) के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण और वैध जाति प्रमाणपत्र के अनुसार ई-कॉल लेटर प्रदान किया जाएगा.
- गाड़ी में आरक्षण और यात्रा करते समय , उम्मीदवार की वास्तविकता के सत्यापन के लिए मूल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय प्रमाणपत्र को संबंधित प्राधिकृत रेलवे कर्मचारियों को दिखाना होगा. इस निःशुल्क यात्रा सुविधा का कोई भी दुरुपयोग करने से चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवार की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा और आरआरबी/आरआरसी द्वारा आयोजित भविष्य की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई/परिणाम भुगतने होंगे.
- 1.14 सीईएन में दर्शाई गई रिक्तियां अनंतिम हैं और संबंधित रेलवे प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर कुल में शून्य हो सकती हैं या बाद में विशिष्ट समुदायों/इकाइयों में बढ़ या घट सकती हैं. रेलवे द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पदों को भी बाद में शामिल किया जा सकता है. रेलवे प्रशासन अपने विवेक पर अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है और ऐसा निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा. ऐसे रद्द करण की स्थिति में , उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा , सिवाय उन उम्मीदवारों के जिन्होंने प्रथम चरण की परीक्षा (यानी सीबीटी- 1) में भाग लिया है. (धनवापसी के लिए पैरा 7.0 देखें)
- 1.15 **नियुक्ति का अधिकार:**आरआरबी द्वारा किया गया चयन उम्मीदवारों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देता है. आरआरबी का कार्य केवल जोनल रेलवे के संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करना है, जो बदले में रिक्तियों की उपलब्धता और चरित्र के पूर्ववृत्त सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करते हैं.

- 1.16 **पोस्टिंग:** आम तौर पर , रेलवे कर्मचारी को उस जोनल रेलवे या उत्पादन इकाई में पूरी सेवा के दौरान नियुक्त किया जाएगा, जिसमें वह पहली नियुक्ति पर तैनात है और उसे किसी अन्य रेलवे या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं करना होगा. हालांकि, सक्षम प्राधिकारी सेवा की अनिवार्यताओं में रेलवे कर्मचारी को भारत में या भारत से बाहर किसी परियोजना सहित किसी अन्य विभाग या रेलवे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर सकता है. नव नियुक्त उम्मीदवार द्वारा कम से कम 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी करने तक अन्य रेलवे में स्थानांतरण के लिए कोई अनुरोध पंजीकृत नहीं किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आरआरबी का चयन उचित सावधानी और विचार के साथ करें.
- 1.17 एएलपी के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को जहां भी निर्धारित किया जाएगा , प्रशिक्षण लेना होगा तथा प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल वृत्तिका (स्टॉइपेंड) दिया जाएगा.
- 1.18 चयनित उम्मीदवार जहां भी आवश्यक हो, प्रतिभूति और/या क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करेंगे.
- 1.19 चयनित उम्मीदवार, जिन्हें अंतिम रूप से नियुक्त किया गया है, वे प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर इकाई में सक्रिय सेवा के लिए उत्तरदायी होंगे.
- 1.20 आरआरबी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि आरआरबी की चयन प्रक्रिया में कोई अनजाने में हुई त्रुटि/टाइपोग्राफिकल गलती पाई जाती है, तो वह परिणाम को रद्द/संशोधित कर सकता है. यह पद पैनल में शामिल करने सहित भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में होता है. साथ ही , रेलवे में उम्मीदवार की नियुक्ति के बाद भी ऐसा किया जा सकता है. इसके अलावा, आरआरबी ऐसे उम्मीदवारों को चयन पैनल से हटाने और रेलवे से उनकी नियुक्ति रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. यदि वे पहले से ही नियुक्त हैं, तो उन्हें रेलवे सेवा से हटाया जा सकता है.
- 1.21 आरआरबी को सीईएन के अंतर्गत आवश्यकतानुसार और किसी भी स्तर पर लागू भर्ती के किसी भी नियम और शर्तों को बदलने / संशोधित करने / जोड़ने / हटाने का अधिकार सुरक्षित है.
- 1.22 आरआरबी, उम्मीदवारों की सहमति से , इस भर्ती में प्राप्त अंकों को अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी संगठनों के साथ अपनी भर्ती के लिए साझा कर सकते हैं. उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में इसके लिए अपनी सहमति/अस्वीकृति दर्शानी होगी.
- 1.23 उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे अपने हित में आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख से पहले ही अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें और अंतिम समय में किसी भी तरह की भीड़ से बचें. अंतिम दिनों में भारी इंटरनेट या वेबसाइट ट्रैफिक की संभावना के कारण यह सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन: सीईएन के आवेदन जमा करने के तकनीकी मुद्दों से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए (सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)

ईमेल: rrbhelp@csc.gov.in

फोन: 0172-565-3333 और 9592001188

यदि उम्मीदवार किसी भी कारणवश अंतिमतारीख के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आरआरबी जिम्मेदार नहीं होगा.

- 2.0 **रिक्तियां:** इस सीईएन में पद के मापदंड (अर्थात् योग्यता , चिकित्सा मानक आदि) अनुलग्नक ए में हैं तथा आरआरबी-वार और आरआरबी के अंतर्गत जोन की रिक्तियां अनुलग्नक बी में हैं. कृपया ध्यान दें कि रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार इन रिक्तियों में वृद्धि या कमी हो सकती है. (तदनुसार संशोधित रिक्ति तालिका प्रकाशित की जाएगी.)
- 3.0 **मेडिकल फिटनेस के मानक:** डी.वी. के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस परीक्षा पास करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पद से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं. दृश्य तीक्ष्णता मानक रेलवे सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सा योग्यता है. इस सी.ई.एन.

के सहायक लोको पायलट के पद के लिए चिकित्सा आवश्यकताएँ नीचे दी गई हैं:

चिकित्सा मानक	सामान्य फिटनेस	दृष्टि मानक
ए-1	सभी प्रकार से शारीरिक रूप से फिट	i) दूर दृष्टि: 6/6, 6/6 बिना चश्मे के साथ फॉगिंग टेस्ट (2डी स्वीकार नहीं करना चाहिए) ii) निकट दृष्टि: एसएन: 0.6, 0.6 बिना चश्मे के और iii) कलर विजन, दूरबीन दृष्टि, दृष्टि क्षेत्र, रात्रि दृष्टि, मेसोपिक दृष्टि आदि के लिए परीक्षा पास करनी होगी.

कृपया नोट करें:

- (ए) उपरोक्त चिकित्सा मानक सांकेतिक हैं तथा संपूर्ण नहीं हैं तथा सामान्य रूप से उम्मीदवारों पर लागू होते हैं. विस्तृत जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) खंड I का अध्याय 5 पढ़ने की सलाह दी जाती है, जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट और पात्र हैं.
- (बी) जिन उम्मीदवारों ने लेसिक सर्जरी या अपवर्तक त्रुटि को ठीक करने के लिए कोई अन्य शल्य चिकित्सा प्रक्रिया करवाई है, वे एएलपी के पद के लिए पात्र नहीं हैं. उम्मीदवारों को डीवी के दौरान अनुलग्नक VI-बी में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी.
- (सी) भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिकित्सा मानक भिन्न हैं, जैसा कि भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) खंड I के पैरा 534 में विस्तृत रूप से बताया गया है, जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है.
- (डी) उम्मीदवारों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि एएलपी के पद के लिए कड़े चिकित्सा मानक हैं. इसलिए, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी फिटनेस - दृष्टि के साथ-साथ शारीरिक/अन्य चिकित्सा मानकों के मामले में - ऊपर बताए गए चिकित्सा मैनुअल में वर्णित निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार है.
- (ई) यदि उम्मीदवार इस पद के लिए निर्धारित मेडिकल फिटनेस/मानक में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसे इस पद के लिए पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा और रेलवे द्वारा कोई वैकल्पिक नियुक्ति भी नहीं दी जाएगी.
- (एफ) यदि कोई उम्मीदवार अपनी प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के दौरान पद के लिए आवश्यक चिकित्सा मानकों को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे निर्धारित शुल्क के भुगतान पर निर्धारित शर्तों के साथ मेडिकल अपील करने का एक आविर्द्धी और अंतिम अवसर दिया जा सकता है. जिन उम्मीदवारों ने अनुमत समय के भीतर मेडिकल अपील विकल्प का लाभ उठाया है, अपील में मेडिकल परीक्षण का परिणाम अंतिम और उम्मीदवार पर बाध्यकारी है. जिन उम्मीदवारों ने अनुमत समय के भीतर मेडिकल अपील विकल्प का लाभ नहीं उठाया है, उनके प्रारंभिक मेडिकल परीक्षा परिणाम पर ही विचार किया जाएगा.

4.0 राष्ट्रीयता/नागरिकता:

- (ए) उम्मीदवार निम्न में से कोई एक होना चाहिए:
 - (i) भारत का नागरिक, या
 - (ii) नेपाल का नागरिक, या
 - (iii) भूटान का नागरिक, या
 - (iv) तिब्बती शरणार्थी जो 01.01.1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो, या
 - (v) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ेरे, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो.
 - (vi) बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणी (ii), (iii), (iv) और (v) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति हो जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो.

(बी) जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है , उसे अनंतिम रूप से परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है. हालाँकि, भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा , अन्यथा उसकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी.

5.0 आयु सीमा (दि.01-07-2025 तक): 18 से 30 वर्ष

5.1 आयु सीमा - नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों/समुदायों के लिए ऊपरी आयु सीमा/अधिकतम ऊपरी आयु सीमा में छूट अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर लागू है..

क्र.सं.	समुदाय / श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा/अधिकतम ऊपरी आयु में छूट	
1	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार	5 वर्ष	
2	ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) उम्मीदवार	3 वर्ष	
3	पूर्व सैनिक (एक्स सर्विसमैन) उम्मीदवार जिन्होंने सत्यापन के बाद छह महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली है	पूर्व सैनिक (एक्स सर्विसमैन) (अनारक्षित एवं ईडब्ल्यूएस)	3 वर्ष (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद)
		पूर्व सैनिक (एक्स सर्विसमैन) (ओबीसी-एनसीएल)	6 वर्ष (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद)
		पूर्व सैनिक (एक्स सर्विसमैन) (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति)	8 वर्ष (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद)
4	वे उम्मीदवार जो रेलवे में ग्रुप 'सी' और पूर्व ग्रुप 'डी' रेलवे स्टाफ के साथ न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ-साथ निरंतर या टूटे-फूटे समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा वाले स्थानापन्न कर्मचारियों की सेवा कर रहे हैं.	यूआर और ईडब्ल्यूएस	40 वर्ष की आयु
		ओबीसी-एनसीएल	43 वर्ष की आयु
		अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति	45 वर्ष की आयु
5	उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में कार्यरत हैं	प्रदान की गई सेवा अवधि तक या 5 वर्ष तक, जो भी कम हो.	
6	महिला उम्मीदवार , जो विधवा हैं , तलाकशुदा हैं या न्यायिक रूप से पति से अलग हैं लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है.	यूआर और ईडब्ल्यूएस	35 वर्ष की आयु
		ओबीसी-एनसीएल	38 वर्ष की आयु
		अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति	40 वर्ष की आयु
7	पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके एकट अप्रेंटिस ऐसे पद के लिए आवेदन कर रहे हैं जिसके लिए न्यूनतम योग्यता आईटीआई/पाठ्यक्रम पूर्ण एकट अप्रेंटिसशिप है.	प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत उनके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण की सीमा तक छूट दी जाएगी.	

8	वे उम्मीदवार जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले , प्रशिक्षिता अधिनियम के तहत पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम प्रशिक्षि बन गए हैं	यूआर और ईडब्ल्यूएस	35 वर्ष की आयु
		ओबीसी-एनसीएल	38 वर्ष की आयु
		अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति	40 वर्ष की आयु

5.2 उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तारीखों के बीच होनी चाहिए: (दोनों तारीख शामिल हैं)

आयु वर्ग (वर्षों में)	जन्म तिथि की ऊपरी सीमा (इससे पहले नहीं)			जन्म तिथि की निचली सीमा (इसके बाद नहीं)
	यूआर (ओबीसी-सीएल शामिल) और ईडब्ल्यूएस	ओबीसी (एनसीएल)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	
18 – 30	02.07.1995	02.07.1992	02.07.1990	01.07.2007
i)	यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधारों पर आयु में छूट के लिए पात्र है , तो उसे उन छूटों में से अधिकतम छूट मिलेगी जिसके लिए वह पात्र है (संचयी नहीं).			
ii)	अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछ़ड़ा वर्ग (एनसीएल) उम्मीदवारों को कोई आयु में छूट नहीं मिलेगी.			
iii)	पूर्व सैनिक (एक्स सर्विसमैन) उम्मीदवारों को आयु में छूट उपरोक्त पैरा 5.1 में दी गई है.			

5.3 **महत्वपूर्ण:** उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके आवेदन में भरी गई जन्म तिथि वही होनी चाहिए जो उनके मैट्रिक्युलेशन / एसएसएलसी / 10वीं कक्षा पास या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है. जन्म तिथि में बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा. जन्म तिथि में कोई भी अंतर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

6.0 अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ:

(ए) अपेक्षित योग्यताओं की सूची अनुलग्नक-ए में दी गई है.

(बी) उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम संस्थान/विश्वविद्यालय से निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यताएँ होनी चाहिए.

(सी) जो निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता की अपनी अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं , उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए.

नोट: शैक्षिक/तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्रों जैसे कि प्रोविजनल या नियमित प्रमाणपत्रों में जारी करने की तारीख होनी चाहिए. यदि इन प्रमाणपत्रों को जारी करने की तारीख अधिसूचना की अंतिम तारीख के बाद है , तो अंतिम योग्यता परीक्षा की घोषणा की तारीख के साथ समेकित अंक पत्र या प्रत्येक सेमेस्टर/वर्ष के परिणाम की घोषणा की तारीख के साथ सभी सेमेस्टर/वर्षों की व्यक्तिगत अंक पत्रक प्रस्तुत किए जाने चाहिए. यदि इनमें से किसी भी प्रमाणपत्र में तारीख उपलब्ध नहीं है, तो डीवी के समय बोर्ड/विश्वविद्यालय से परिणाम की घोषणा की तारीख दर्शाने वाला प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

7.0 **परीक्षा शुल्क:** उम्मीदवारों को अपने समुदाय/श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा , जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	उम्मीदवारों की श्रेणियाँ / समुदाय	शुल्क
1	सभी उम्मीदवारों के लिए (नीचे क्रम संख्या छोड़कर). 500/- रु. के इस शुल्क में से, प्रथम चरण सीबीटी में उपस्थित होने पर, बैंक शुल्क काटकर 400/- रु. की राशि वापस कर दी जाएगी.	500/- रु.
2	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक (एक्स सर्विसमैन) महिला, द्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए. (उम्मीदवारों के लिए सावधानी: ईबीसी को ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए)	250/- रु.

नोट: केवल सीबीटी-1 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ही ऊपर बताए अनुसार उनकी परीक्षा शुल्क की वापसी मिलेगी.

7.1 शुल्क भुगतान के तरीके:

- ए) केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान स्वीकार किया जाएगा. सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा ही भुगतान किए जाएंगे.
- बी) उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा सकता है. किसी अन्य मोड के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं होगा.
- सी) निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें तुरंत खारिज कर दिया जाएगा. ऐसी अस्वीकृति के प्रति कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

7.2 अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी शामिल होंगे, जिन्हें उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, जहां से उम्मीदवार संबंधित है, संशोधन/हटाने/समावेश के अधीन, यदि कोई हो, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक प्राप्त करेंगे.

'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' के लिए शपथ पत्र: परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को अनुलग्नक V के प्रारूप में डीवी के समय अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी.

7.3 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रु. से कम है और वे रियायती शुल्क (ऊपर पैरा 7.0 के अनुसार) के लिए पात्र हैं। इसके लिए उनके पास निम्न होना चाहिए-

ए. प्राधिकारी के लेटरहेड पर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक IV में) में आवेदन की तारीख पर वैध आय प्रमाण पत्र होना चाहिए. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी प्राधिकृत हैं:

- (1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी
- (2) अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के वर्तमान सांसद
- (3) उस जिले के व्यक्तियों के लिए राज्यसभा के वर्तमान सांसद जिसमें ये सांसद आमतौर पर रहते हैं.

(4) देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के लिए केन्द्रीय मंत्री.

(या)

बी. बीपीएल कार्ड या किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाणपत्र (या)

सी. रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी.

सभी ईबीसी उम्मीदवार जो रियायती शुल्क चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में वैध ईबीसी प्रमाण पत्र / बीपीएल कार्ड / इज्जत एमएसटी के प्रासंगिक विवरण भरने चाहिए और इसे डीवी के समय मूल रूप में भी प्रस्तुत करना होगा , ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी

नोट: ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग श्रेणियां हैं, और ईबीसी को ओबीसी के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए. ईबीसी उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि वे केवल शुल्क रियायत के हकदार हैं, नौकरी आरक्षण के नहीं.

7.4 परीक्षा शुल्क की वापसी (सीबीटी4 में भाग लेने वालों के लिए):

(ए) सभी उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में अपने बैंक विवरण (जैसे, बैंक का नाम, खाताधारक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड) का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा ताकि वे अपने परीक्षा शुल्क का योग्य वापसी हिस्सा (अर्थात् 400/- रु. 250/- रु. जो भी लागू हो, बैंक शुल्क घटाकर) प्राप्त कर सकें.

(बी) सही बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों पर है और आरआरबी इस आधार पर उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा.

(सी) गलत/अपूर्ण लाभार्थी विवरण और त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क की कोई धनवापसी नहीं की जाएगी.

8.0 लंबवत आरक्षण :

8.1 यह सीईएन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) , अनुसूचित जाति (एससी) , अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) (ओबीसी-एनसीएल) के लिए लंबवत आरक्षण प्रदान करता है , जहां भी लागू और स्वीकार्य हो, और जैसा कि वर्तमान नियमों के अंतर्गत इंडेंटिंग रेलवे द्वारा सूचित किया जाता है. (अनुलग्नक बी की रिक्ति तालिका में विवरण देखें.) केवल वे समुदाय जिन्हें भारत सरकार द्वारा एससी , एसटी और ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) के रूप में मान्यता प्राप्त है, आरक्षण के लिए पात्र हैं.

नोट: ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग-अलग श्रेणियां हैं. ईबीसी उम्मीदवार किसी भी नौकरी के आरक्षण के पात्र नहीं हैं.

8.2 सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे किसी भी समुदाय के हों, सामान्य यानी अनारक्षित (यूआर) रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा (यूआर के लिए आवश्यक पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन). हालाँकि , विशिष्ट समूहों [अर्थात् , एससी, एसटी, ओबीसी (एनसीएल) और ईडब्ल्यूएस] के लिए आरक्षित रिक्तियाँ केवल उस समुदाय/श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएँगी.

8.3 अतः ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवार जो अपेक्षित शैक्षिक और तकनीकी योग्यताएं पूरी करते हैं, वे भी यूआर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं , जिसके लिए उन्हें परीक्षा के किसी भी चरण (सीबीटी-I/सीबीटी-II) में आयु, योग्यता या अंकों आदि में किसी भी छूट/रियायत के बिना सामान्य (यूआर) उम्मीदवारों के रूप में प्रतिस्पर्धा करनी होगी. किसी भी मामले में, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन में अपने वास्तविक समुदाय का विवरण दें.

8.4 आरक्षण का लाभ उठाने के लिए ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों को डीवी के दौरान मूल रूप में नवीनतम और वैध प्रमाण पत्र (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक) प्रस्तुत करना चाहिए प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए प्रारूपों के अनुसार जारी किए जाने चाहिए (ए) अनुलग्नक- I (एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए), (बी) अनुलग्नक-II (ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए) और (सी) अनुलग्नक-III (ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए).

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में: सुप्रीम कोर्ट डब्ल्यूपी© 1052/2021 सुनील कुमार राय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के बीच , दिनांक 21.02.2022 के निर्णय , वे उम्मीदवार जो (ए) मूल रूप से लोहार/लोहारा/लोहरा जाति के हैं, और (बी) बिहार राज्य से संबंधित हैं या केवल बिहार राज्य से अस्थायी/स्थायी रूप से अन्य राज्यों में चले गए हैं, उन्हें अपनी नवीनतम जाति (जो (ए) एसटी का दावा करने के लिए बिहार सरकार के फॉर्म- II के संदर्भ में सीईएन के अनुलग्नक- I के अनुसार है या (बी) ओबीसी-एनसीएल का दावा करने के लिए बिहार सरकार के फॉर्म- VIIए के संदर्भ में सीईएन के अनुलग्नक-II के अनुसार है) जमा करनी चाहिए जो 01.04.2023 के बाद ही जारी की गई हो और साथ ही यह आवेदन पत्र में उल्लिखित एसटी/ओबीसी-एनसीएल के रूप में उनके दावे को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख पर मान्य होनी चाहिए.

डॉ भीमराव अंबेडकर विचार मंच , बिहार, पटना और बिहार राज्य और अन्य के बीच सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील संख्या 18802/2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, दिनांक 15.07.2024 का निर्णय, जिन उम्मीदवारों के पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले जारी एसटी/एससी का समुदाय प्रमाण पत्र है और साथ ही (ए) मूल रूप से पैन/पैनआर/सवासी/तांती-तंतवा (तांती-तंतवा) जाति के हैं, और (बी) बिहार राज्य के हैं या केवल बिहार राज्य से अस्थायी/स्थायी रूप से अन्य राज्यों में चले गए हैं , उन्हें नवीनतम जाति प्रमाण पत्र का विवरण अपलोड करना चाहिए जो 01.09.2024 को या उसके बाद जारी किया गया हो, जिसमें उनके समुदाय और जाति को संशोधित/जोड़ दिया गया हो. उनके समुदाय और जाति/जनजाति को उनकी संशोधित जाति/समुदाय के अनुसार भर्ती के लिए विचार किया जाएगा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय दि.01.09.2024 को या उसके बाद लिया गया नया जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा, अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा.

8.5 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नवीनतम सूची में उल्लिखित ओबीसी जातियां ओबीसी आरक्षण का दावा करने का आधार होंगी. ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि “यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/09/93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है और भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13/09/2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) द्वारा संशोधित किया गया है*” (*इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक यदि कोई संशोधन प्राप्त हुआ है तो).

8.6 ओबीसी-एनसीएल के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाणपत्र है और वह आवेदन जमा करने की अंतिमतारीख पर क्रीमी लेयर में नहीं आता है दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान , ऐसे उम्मीदवारों को अपना मूल ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में) प्रस्तुत करना चाहिए जो आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक वैध हो और साथ ही अनुलग्नक IIए में दिए गए प्रारूप में एक स्व-घोषणा भी प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें कहा गया हो कि वे "क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं". अन्यथा , आरक्षण के लिए उनका दावा (ओबीसी-एनसीएल के रूप में) स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसके बजाय , उन्हें सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन केवल अनारक्षित उम्मीदवारों के रूप में माना जा सकता है.

- 8.7 **महत्वपूर्ण:** इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक समुदाय/श्रेणी की स्थिति को केवल पात्रता के अनुसार आरक्षण और संबंधित लाभों के लिए ही माना जाएगा। उसके बाद इस स्थिति में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र में दर्शाएं गए समुदाय (उप-जाति)/श्रेणी से संबंधित हैं और दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान सक्षम प्राधिकारी से वैध प्रमाणपत्र प्रदान करके इस दावे को पुष्टी करनी चाहिए।
- 8.8 **ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण** ऐसे उम्मीदवार जो एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का लाभ देने के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाएगा। आय में आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से होने वाली आय भी शामिल होगी। इसके अलावा, ऐसे उम्मीदवार जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें पारिवारिक आय की परवाह किए बिना ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा:
- i. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
 - ii. 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
 - iii. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट;
 - iv. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट। ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया जाएगा।

इस उद्देश्य के लिए परिवार में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे।

ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। अनुलग्नक III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को ही उम्मीदवार के ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

- ए) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
- बी) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- सी) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो
- डी) उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तदनुसार, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रमाण पत्र संख्या, प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख, जारी करने वाला प्राधिकारी, जिला और जारी करने का राज्य भरना होगा। इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी / आवेदन, यदि सामान्य (यूआर) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (यूआर) रिक्तियों के तहत ही विचार किया जाएगा।

9.0 क्षैतिज आरक्षण :

- 9.1 यह सीईएन पूर्व सैनिकों (एक्स सर्विसमैन) के लिए उनके सामाजिक समुदाय पर ध्यान दिए बिना क्षैतिज आरक्षण का भी प्रावधान करता है.
- 9.2 रिक्ति तालिका (अनुलग्नक-बी) में दर्शाई गई कुल रिक्तियों में पूर्व सैनिकों (एक्स सर्विसमैन) के लिए आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं, अर्थात् रिक्ति तालिका में जहां भी पूर्व सैनिकों (एक्स सर्विसमैन) के लिए रिक्तियां दी गई हैं, वे अलग नहीं हैं, बल्कि उन्हें कुल रिक्तियों में शामिल किया गया है.
- 9.3 पूर्व सैनिकों (एक्स सर्विसमैन) उम्मीदवार उन पदों की अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित नहीं हैं. वे इस अनारक्षित पद के लिए आवेदन करते समय आयु में छूट और शुल्क में छूट के लिए भी पात्र होंगे.

10.0 पूर्व सैनिक (एक्स सर्विसमैन):

- 10.1 पूर्व सैनिक (एक्स सर्विसमैन) शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना , नौसेना या वायु सेना में किसी भी पद पर (लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में) सेवा की हो , लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने रक्षा सुरक्षा कोर , जनरल रिजर्व इंजीनियरी बल , लोक सहायक सेना और अर्धसैनिक बलों में सेवा की हो.

और

(ए) जो या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या सेवामुक्त हो गया हो या सेवामुक्त कर दिया गया हो, चाहे उसके स्वयं के अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा पेंशन प्राप्त करने के पश्चात् सेवामुक्त किया गया हो; (या)

(बी) जो सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त किया गया हो या चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन प्राप्त करता हो; (या)

(सी) जो प्रतिष्ठान में कठौती के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो; (या)

(डी) जो नियुक्ति की विशिष्ट अवधि पूरी करने के पश्चात्, अन्यथा अपने स्वयं के अनुरोध पर या कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के माध्यम से ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और उसे ग्रेच्युटी दी गई हो; और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात्, निरंतर सेवा या अर्हता अवधि के लिए पेंशन धारक शामिल हैं;

(अथवा)

(ई) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापस आए बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त हुए हैं और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित हैं; (अथवा)

(एफ) कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे;

(अथवा)

(जी) प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; (अथवा)

(एच) पूर्व भर्ती जो चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त हुए हैं और जिन्हें 01.02.2006 से चिकित्सा विकलांगता पेंशन दी गई है.

- 10.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति , जो सेवा से सेवानिवृत्त होने पर पूर्व सैनिक की श्रेणी में आएंगे , नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पूर्व पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने के पात्र हैं तथा पूर्व सैनिकों को उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठा सकते हैं , लेकिन ऐसे व्यक्तियों को तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी , जब तक कि वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं कर लेते. तदनुसार , ऐसे सेवारत रक्षा कार्मिक जो इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख से एक वर्ष के भीतर सेवामुक्त हो गए हैं , वे भी पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रिक्तियों तथा उनके लिए आरक्षित न किए गए पदों दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं. यदि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख से भर्ती प्रक्रिया में एक

वर्ष से अधिक समय लगता है , तो उम्मीदवार को केवल इस आधार पर पूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वह स्वयं इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख से एक वर्ष के बाद सशब्द बलों से सेवामुक्त हुआ है, अर्थात्, उस पर दस्तावेज सत्यापन की तारीख तक विचार किया जा सकता है , जिसके लिए उसे शॉटलिस्ट किया गया है.

हालांकि, उनके पास इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए.

- 10.3 सशब्द सेवा कार्मिक जो आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख पर सशब्द बलों में सेवारत हैं , उन्हें अनुलग्नक VIIए के अनुसार “सेवा से छुट्टी की संभावित तारीख के साथ रोजगार प्रमाण पत्र ” प्रस्तुत करना होगा जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक वैध है. इसके अलावा , दस्तावेज़ सत्यापन के समय पूर्व सैनिक आरक्षण लाभों का दावा करने के लिए अनुलग्नक VIIबी के अनुसार उपक्रम की स्व-घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए.
- 10.4 पूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के बाद पहले ही केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'सी' और पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों , स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों , राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है , उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'सी/तत्कालीन ग्रुप 'डी' में उच्च ग्रेड या कैडर में एक और सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु छूट का लाभ ही दिया जाएगा. ऐसे उम्मीदवारों को केंद्र सरकार की नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा.
- 10.5 यदि कोई पूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है , तो वह किसी भी बाद की नौकरी के लिए पूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है , बशर्ते कि जैसे ही वह किसी सिविल रोजगार में शामिल होता है , उस पूर्व सैनिक को इस सीईएन के लिए आवेदन के विवरण के बारे में संबंधित नियोक्ता को एक स्व-घोषणा/शपथपत्र देना चाहिए. सिविल नियोक्ता से एनओसी और अनुलग्नक- VIIबी के अनुसार स्व-घोषणा के साथ इस घोषणा की पावती प्रति , डीवी के दौरान प्रस्तुत की जानी चाहिए , अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. इसके अलावा , यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और जहाँ भी पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होता है.
- 10.6 पूर्व सैनिकों का चिकित्सा मानक भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) खंड I के पैरा 534 के अनुसार होगा , जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है.
- 11.0 वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकारी स्वायत्त निकाय या अन्य सरकारी संस्थाओं सहित किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत (प्रेरण प्रशिक्षण/परिवीक्षा से गुजरने वाले सहित) उम्मीदवार अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए सीधे आरआरबी को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. शॉटलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डीवी की तारीख पर नियोक्ता से एनओसी प्रस्तुत करना चाहिए , ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. दस्तावेज़ सत्यापन/पैनलमेंट/नियुक्ति के दौरान/उसके समय निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वर्तमान नियोक्ता से एनओसी जमा करना उम्मीदवार की एकमात्र जिम्मेदारी है , ऐसा न करने पर उसकी उम्मीदवारी/पैनलमेंट/नियुक्ति अस्वीकार और रद्द कर दी जाएगी.

नोट: उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यदि संबंधित आरआरबी द्वारा उनके नियोक्ता से कोई संचार प्राप्त होता है , तो दस्तावेज़ सत्यापन के लिए आवेदन करने/परीक्षा में उपस्थित होने/शॉटलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अनुमति नहीं दी जाती है या पैनलमेंट/नियुक्ति के समय, उनका आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकार/रद्द की जा सकती है.

12.0 भर्ती प्रक्रिया:

(ए) एक उम्मीदवार केवल एक आरआरबी में आवेदन कर सकता है , और पैरा 13 (जे) में उल्लिखित भाग लेने वाले आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों में से किसी एक के माध्यम से केवल एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा. एक आरआरबी या कई आरआरबी में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और भविष्य में सीईएन के लिए आरआरबी/आरआरसी में आवेदन करने पर रोक लगा दी जाएगी.

(बी) भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:

- (i) पहला चरण सीबीटी (सीबीटी-1)
- (ii) दूसरा चरण सीबीटी (सीबीटी-2)
- (iii) कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (सीबीएटी)
- (iv) दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) और
- (v) चिकित्सा परीक्षा (एमई)

(सी) परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों , एसएमएस और ईमेल के माध्यम से नियत समय पर दी जाएगी.

(डी) किसी भी चरण की परीक्षा को स्थगित करने या स्थान , तारीख और शिफ्ट में बदलाव के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा.

12.1 प्रथम चरण सीबीटी (सीबीटी-1):

(ए) सीबीटी-1 केवल सीबीटी-2 के लिए पात्र उम्मीदवारों को उनके सामान्यीकृत अंकों और योग्यता के आधार पर शॉटलिस्ट करने के लिए एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी. स्क्रीनिंग केवल उसी आरआरबी को चुनने वाले उम्मीदवारों के बीच सीबीटी-1 में उनकी योग्यता के आधार पर होगी.

(बी) अंतिम पैनल तैयार करते समय सीबीटी-1 के अंकों की गणना नहीं की जाएगी.

(सी) सीबीटी-1 का पैटर्न और पाठ्यक्रम:

- (i) अवधि: 60 मिनट
- (ii) प्रश्नों की संख्या: 75, अधिकतम अंक: 75 (@1 अंक प्रति प्रश्न)
- (iii) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी.
- (iv) कई शिफ्टों में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा.
- (v) पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत: यूआर और ईडब्ल्यूएस - 40% , ओबीसी (एनसीएल) - 30% , एससी - 30%, एसटी - 25%. यह उनके समुदाय के अनुसार भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों पर भी लागू है.

(vi) सीबीटी-1 के लिए प्रश्नों का मानक आम तौर पर पद के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों और/या न्यूनतम तकनीकी योग्यताओं के अनुरूप नहीं होगा. प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को शामिल करने की संभावना है:

(ए) गणित: संख्या प्रणाली, बोडमास, दशमलव, अंश, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात और अनुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य ; समय और दूरी , साधारण और चक्रवृद्धि व्याज , लाभ और हानि , बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी आदि.

(बी) मानसिक क्षमता: सादृश्य , वर्णमाला और संख्या शृंखला , कोडिंग और डिकोडिंग , गणितीय संचालन , संबंध, न्यायवाक्य, जंबलिंग, वेन आरेख , डेटा व्याख्या और पर्याप्तता , निष्कर्ष और निर्णय लेना , समानताएं और अंतर , विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, निर्देश, कथन - तर्क और धारणाएं आदि.

(सी) सामान्य विज्ञान: इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में भौतिकी, रसायन विज्ञान और 10वीं कक्षा के स्तर का जीवन विज्ञान.

(डी) सामान्य जागरूकता: समसामयिक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य महत्वपूर्ण विषय.

12.2 द्वितीय चरण सीबीटी (सीबीटी-2):

(ए) सीबीटी-2 के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग आरआरबी-वार और समुदाय-वार उनके सामान्यीकृत अंकों और सीबीटी-1 में मेरिट के अनुसार उन उम्मीदवारों में से की जाएगी जिन्होंने उसी आरआरबी को चुना है।

(बी) एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवारों को यूआर श्रेणी में सीबीटी-2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बशर्ते कि उन्हें आयु, योग्यता या अंकों आदि में कोई छूट/रियायत न दी गई हो।

(सी) उम्मीदवार जो किसी समुदाय/श्रेणी (भूतपूर्व सैनिक/ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण लाभ का लाभ उठाते हुए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के सभी बाद के चरणों (सीबीटी 2/सीबीएटी/डीवी) के लिए केवल उसी समुदाय/श्रेणी के लिए विचार किया जाना जारी रहेगा।

(डी) सीबीटी-2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रत्येक आरआरबी के प्रति अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से 15 (पंद्रह) गुना तक सीमित होगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवार कट-ऑफ अंक के बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो उन सभी को सीबीटी-2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

(ई) हालांकि, रेलवे अधिसूचित पद के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यकतानुसार उपरोक्त सीमा को बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(एफ) एएलपी के लिए अंतिम पैनल केवल सीबीटी-2 और सीबीएटी में उम्मीदवारों के अंकों और योग्यता के आधार पर तैयार किए जाएंगे।

(जी) सीबीटी-2 का पैटर्न और पाठ्यक्रम:

(i) सीबीटी-2 में दो भाग होंगे, अर्थात् भाग-ए और भाग-बी, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है।

(ii) कुल अवधि: 2 घंटे और 30 मिनट और कुल प्रश्न: 175

भाग-ए: 90 मिनट और 100 प्रश्न

भाग-बी: 60 मिनट और 75 प्रश्न

(iii) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी।

(iv) कई शिफ्टों में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा।

(i) भाग-ए में, पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत: यूआर और ईडब्ल्यूएस - 40%, ओबीसी (एनसीएल) - 30%, एससी - 30%, एसटी - 25%। यह उनके समुदाय के अनुसार पूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों पर भी लागू है।

(v) इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए केवल भाग-ए में प्राप्त अंकों को ही गिना जाएगा, बशर्ते कि उम्मीदवार, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो, भाग-बी में अर्हक अंक (35%) प्राप्त करने में सक्षम हो।

(एच) भाग-ए के लिए पाठ्यक्रम:

(ए) गणित: संख्या प्रणाली, बीओडीएमएएस, दशमलव, अंश, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, माप, समय और कार्य; समय और दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि व्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और सिस्टर्न आदि।

(बी) सामान्य बुद्धि और तर्क: समानताएं, वर्णमाला और संख्या शृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, न्यायवाक्य, जुम्बलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और भिन्नता, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन-तर्क और धारणाएं आदि।

(सी) बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग: इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले व्यापक विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग (प्रक्षेपण, दृश्य, ड्राइंग उपकरण, रेखाएँ, ज्यामितीय आकृतियाँ, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व), इकाइयाँ, माप, द्रव्यमान भार और घनत्व, कार्य शक्ति और ऊर्जा, गति और वेग, ऊष्मा और तापमान, बुनियादी विजली, लीवर और सरल मशीनें,

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, पर्यावरण शिक्षा, आईटी साक्षरता आदि होंगे।

(vi) भाग-बी के लिए पाठ्यक्रम:

(ए) भाग-बी केवल एक योग्यता परीक्षा है और इसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्वारा निर्धारित विभिन्न व्यवसाय पाठ्यक्रमों से प्रश्न होंगे।

(बी) नोट: श्रेणी/समुदाय के बावजूद सभी उम्मीदवारों के लिए योग्यता प्रतिशत -35% है।

(सी) विभिन्न ट्रेडों का पाठ्यक्रम: विभिन्न तकनीकी ट्रेडों के पाठ्यक्रम के लिए कृपया प्रशिक्षण महानिदेशालय (जीओआई) की वेबसाइट (<https://dgt.gov.in.>) देखें।

(डी) आईटीआई/ट्रेड अप्रेटिसिप योग्यता वाले उम्मीदवारों को अपने ट्रेड से संबंधित प्रश्न वाले अनुभाग में उपस्थित होना होगा।

(ई) डिग्री, डिप्लोमा उम्मीदवारों को अपने इंजीनियरी अनुशासन के प्रति नीचे सूचीबद्ध ट्रेडों की सूची में से एक ट्रेड का चयन करना होगा।

सीबीटी-2 का भाग बी (योग्यता परीक्षण)		
ट्रेड/विषय का योग्यता-वार समूहन		
क्र.सं.	उम्मीदवार की योग्यता	भाग-बी के लिए पसंद का ट्रेड/विषय
1	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी की विभिन्न धाराओं का संयोजन	इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर और कॉइल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन और एयर-कंडीशनिंग मैकेनिक
2	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी की विभिन्न धाराओं का संयोजन	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक (रेडियो और टीवी)
3	मैकेनिकल इंजीनियरी और मैकेनिकल इंजीनियरी की विभिन्न धाराओं का संयोजन	फिटर, मैकेनिक (मोटर वाहन), ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक (डीजल), टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर-कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, मिलराइट/मेटेनेंस मैकेनिक
4	ऑटोमोबाइल इंजीनियरी और ऑटोमोबाइल इंजीनियरी की विभिन्न धाराओं का संयोजन	मैकेनिक (मोटर वाहन), ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक (डीजल), हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन और एयर-कंडीशनिंग मैकेनिक

12.3 कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण (सीबीएटी):

(ए) प्रत्येक अधिसूचित समुदाय/श्रेणी के लिए एएलपी रिक्तियों की संख्या के 8 (आठ) गुना के बराबर उम्मीदवार, जैसे कि यूआर (ओबीसी-सीएल शामिल है), ओबीसी (एनसीएल), एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस (एक्साएसएम सहित), सीबीटी-2 के भाग-ए में उनके अंकों के आधार पर उन उम्मीदवारों के बीच सीबीएटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जिन्होंने केवल आरक्षण नियमों के आवेदन के साथ एक ही आरआरबी चुना है, बशर्ते कि वे सीबीटी-2 के भाग-बी में अर्हता प्राप्त करें। यदि एक से अधिक उम्मीदवार कट-ऑफ पॉइंट के बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो वे सभी सीबीएटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे।

(बी) ऐसे शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सीबीएटी के दौरान निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक- VIए के अनुसार) में अपना विजन सर्टिफिकेट मूल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उन्हें उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(सी) अर्हता प्राप्त करने के लिए सीबीएटी के प्रत्येक टेस्ट बैटरी/सेक्षन को अलग-अलग पास करना अनिवार्य है।

(डी) सीबीएटी केवल अंग्रेजी और हिंदी में होगा और कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

(ई) सीबीएटी की जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को आरडीएसओ की निम्नलिखित वेबसाइट लिंक की जांचने की सलाह दी जाती है –

- (i) rdso.indianrailways.gov.in -> वर्टिकल -> यातायात और मनोविज्ञान -> मनोविज्ञान-उम्मीदवार का कोना , और
 - (ii) https://rdso.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0,2,456,5821,6119.
- (एफ) योग्यता अंक: सभी उम्मीदवारों (समुदाय के बावजूद) को सीबीएटी में अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक टेस्ट बैटरी में अलग-अलग 42 अंकों का न्यूनतम टी-स्कोर सुरक्षित करना होगा.
- (जी) मेरिट सूची केवल सीबीएटी में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से तैयार की जाएगी. सीबीटी - 2 के भाग-ए में प्राप्त अंकों के लिए 70% वेटेज और सीबीएटी में प्राप्त अंकों के लिए 30% वेटेज दिया जाएगा.

12.4 दस्तावेज सत्यापन (डीवी):

- (ए) सीबीटी-2 के पार्ट-ए में उम्मीदवारों के अंकों और योग्यता के आधार पर , सीबीटी-2 के पार्ट-बी में अर्हता प्राप्त करने और सीबीएटी में अंकों के आधार पर, रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए चुना जाएगा.
- (बी) यदि दो या अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं , तो उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी, यानी, अधिक उम्र के उम्मीदवार को कम उम्र के उम्मीदवार की तुलना में उच्च योग्यता दी जाएगी.
- (सी) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करने और सभी आवश्यक दस्तावेजों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है.
- (डी) भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने पर , आरआरबी योग्य उम्मीदवारों की पसंद के अनुसार रेलवे जोन/उत्पादन इकाई आवंटित करेगा , जो योग्यता, चिकित्सा मानक और रिक्त की स्थिति के अधीन होगा. एक बार उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और पसंद के अनुसार सूचीबद्ध कर लिया जाता है , तो वे अगले प्राथमिकता वाले जोन/इकाई में अपनी वरीयता के लिए विचार किए जाने के अधिकार को खो देंगे. हालांकि , प्रशासनिक हित में विचार किए जाने पर , रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह उम्मीदवार द्वारा चुने गए रेलवे जोन/यूनिट को , उम्मीदवारों द्वारा पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन, नामित कर सकता है.
- (ई) पैनल में किसी कमी या अन्य अनिवार्यताओं के मामले में , आरआरबी ऐसे उम्मीदवारों की योग्यता और विकल्पों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो मेरिट सूची में नीचे के उम्मीदवारों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. हालांकि, इससे ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का कोई निहित अधिकार नहीं मिलेगा.
- (एफ) उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि आरआरबी केवल संबंधित रेलवे जोन को सूचीबद्ध उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करते हैं. नियुक्ति का प्रस्ताव केवल संबंधित रेलवे जोन द्वारा जारी किया जाता है.

13.0 आवेदन कैसे करें :

- (ए) उम्मीदवारों को गलतियों से बचने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी जानकारी और निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए.
- (बी) ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए , उम्मीदवारों को नीचे पैरा 13 (जे) में आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों में इस सीईएन के लिए दिए गए लिंक पर जाना चाहिए. उम्मीदवारों को केवल एक आरआरबी चुनने और चुने हुए आरआरबी के भीतर अधिसूचित पदों के लिए केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है.
- (सी) ऑनलाइन आवेदन के दौरान, उम्मीदवार को खाता बनाने के लिए कहा जाएगा. यदि किसी उम्मीदवार ने अप्रैल 2025 से पहले 2024 के किसी भी भारतीय रेलवे सीईएन के लिए पहले से ही अकाउंट बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन (अर्थात् सीईएन नंबर 01/2025) के लिए लॉग इन करने और आवेदन करने के लिए उसी अकाउंट के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना चाहिए. यदि उम्मीदवार ने अब तक " अकाउंट नहीं बनाया" है , तो उम्मीदवारों को पहले एक अकाउंट बनाना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अकाउंट बनाने के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें , क्योंकि अकाउंट बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी.

- (डी) अकॉउंट बनाने के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए उनके पास एक सक्रिय व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और वैध ईमेल आईडी होना चाहिए. 'क्रिएट एन अकॉउंट' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) में बाद में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा.
- (ई) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में "अकॉउंट बनाएँ" गतिविधि के दौरान आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करें, जिससे उम्मीदवारों के लिए भर्ती के विभिन्न चरणों में एक सहज प्रक्रिया की सुविधा होगी. यदि आवेदक अपनी पहचान और अन्य प्राथमिक विवरणों को वैकल्पिक फोटो आईडी के साथ सत्यापित करते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उनकी काफी सख्त और अधिक विस्तृत जांच की जाएगी.
- (एफ) 'क्रिएट एन अकॉउंट' फॉर्म में भरे गए 12 विवरण जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, राष्ट्रीयता, जन्म तिथि, मैट्रिक्युलेशन रोल नंबर और मैट्रिक्युलेशन प्रमाणपत्र सीरियल नंबर, मैट्रिक्युलेशन प्रमाणपत्र तिथि और ई -केवाईसी, किसी भी परिस्थिति में खाता बनाने के बाद किसी भी चरण में संशोधित नहीं की जा सकती है.
- (जी) ऑनलाइन आवेदन (सभी तरह से पूर्ण) जमा करने और अपेक्षित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद, यदि कोई उम्मीदवार 'क्रिएट एन अकॉउंट' और "चुने हुए आरआरबी" में भरे गए 12 विवरणों को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, बदलना या सही करना चाहता है, तो वह 14-05-2025 से 23-05-2025 तक प्रत्येक अवसर के लिए 250/- रुप. (नॉन रिफंडेबल) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता है. 'क्रिएट एन अकॉउंट' फॉर्म और चुने हुए आरआरबी में भरे गए विवरण को बदला नहीं जा सकता है. दि.23-05-2025 के बाद, आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी के संशोधन के लिए किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं करेगा.
- (एच) ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अनिवार्य रूप से स्कैन किए गए दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे.

1. मानक फोटो (चित्र) - विनिर्देश: यह रंगीन भारतीय पासपोर्ट आकार का फोटो (35 मिमी चौड़ाई x 45 मिमी ऊँचाई) होना चाहिए, जिसमें केवल सादे सफेद रंग की पृष्ठभूमि हो. पोशाक गैर-सफेद पोशाक होनी चाहिए, अधिमानतः गहरे रंगों में. यह न्यूनतम 150 डीपीआई रिज़ॉल्यूशन के साथ स्कैन की गई जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में होनी चाहिए और तस्वीर का आकार (50-150 केबी) के बीच होना चाहिए. रंगीन तस्वीर आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख के संबंध में दो महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए.

1.1) फोटोग्राफ में उम्मीदवार का सामने का दृश्य स्पष्ट होना चाहिए, बिना धूप का चश्मा और/या काला चश्मा और/या टोपी और/या हैटपहने हुए और यदि उम्मीदवार दृष्टि सुधार चश्मा पहनते हैं, तो फोटोग्राफ में दृष्टि/सादे चश्मे पर चमक का प्रतिविंब नहीं होना चाहिए और आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए. सिर को फोटोग्राफ के कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र पर कब्जा करना चाहिए और कैमरे को सीधे सामने की ओर देखते हुए पूरा चेहरा दिखना चाहिए. इसके अलावा, कोहनी/कोहनी के नीचे/छाती के नीचे का हिस्साफोटो में दिखाई नहीं देना चाहिए. चेहरे का भाव स्वाभाविक होना चाहिए (कोई मुस्कुराहट/भौंसिकोड़ना/भौंहें उठाना नहीं). आंखें स्पष्ट रूप से खुली होनी चाहिए और सीधे सामने की ओर देखना चाहिए.

1.2) चेहरे की मुख्य विशेषताएं सिर के बालों, किसी कपड़े या किसी छाया से ढकी नहीं होनी चाहिए. माथा, दोनों आँखें, दोनों गाल, नाक, ठोड़ी, गर्दन और दोनों कंधे स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए. फोटो उचित रिज़ॉल्यूशन (कम से कम 240 पिक्सेल चौड़ाई x 320 पिक्सेल ऊँचाई), चमक और तीक्ष्णता और निरंतर टोन गुणवत्ता के साथ स्पष्ट होनी चाहिए. फोटो पर हस्ताक्षर/नाम/तारीख या कोई अन्य निशानहीं होना चाहिए.

नोट: 1. परीक्षा और/या दस्तावेज़ सत्यापन/और/या मेडिकल के समय प्राप्त आवेदक की तस्वीर ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान लागू की गई तस्वीर से सिर की सभी विशेषताओं से मेल खानी चाहिए. अगर यह पाया जाता है कि फोटो में कोई मेल नहीं है, तो उसकी उम्मीदवारी अयोग्य घोषित की जा सकती है. इसके अलावा, कानूनी मुकदमा चलाया जा सकता है और उम्मीदवार को आरआरबी/आरआरसी द्वारा आयोजित रेलवे भर्तियों के लिए आजीवन

प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा, परीक्षा के दौरान फोटो आईडी में उल्लिखित फोटो में आवेदन के दौरान लगाए गए फोटो के समान रूप से विशेषताएं होनी चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए, फोटो आईडी में उम्मीदवार की तस्वीर को हाल की तस्वीर के साथ अपडेट किया जा सकता है जिसका उपयोग आगे सभी भर्ती प्रक्रियाओं में किया जाएगा।

2. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के उद्देश्य से आवेदन पर लगाए गए एक ही फोटो की कम से कम 12 प्रतियाँ रखें।

2. मानक हस्ताक्षर (चित्र) - विनिर्देश: हस्ताक्षर केवल काली स्याही वाले पेन से सफेद कागज पर होने चाहिए। हस्ताक्षर रनिंग लेटर्स में होने चाहिए और यह ब्लॉक / कैपिटल (बड़े अक्षर) / डिसजॉइन्ड अक्षर नहीं होने चाहिए। चित्र जेपीजी / जेपीईजी प्रारूप में होनी चाहिए और फ़ाइल का आकार 30 से 49 केबी के बीच होना चाहिए। चित्र न्यूनतम 100 डीपीआई रिज़ॉल्यूशन के साथ स्कैन करके प्राप्त की जाती है। अपलोड की गई हस्ताक्षर चित्र में उचित रिज़ॉल्यूशन (कम से कम 140 पिक्सेल चौड़ाई x 60 पिक्सेल ऊँचाई) होना चाहिए और हस्ताक्षर का पूरा चित्र दिखाई देनी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन के स्कैन बॉक्स (35 मिमी चौड़ाई x 20 मिमी ऊँचाई का आकार) के केंद्र में उपलब्ध होनी चाहिए।

नोट: हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। परीक्षा और / या डीवी और / या मेडिकल के समय प्राप्त आवेदक के हस्ताक्षर आवेदन जमा करने के दौरान ऑनलाइन आवेदन हस्ताक्षर के साथ मेल खाना चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि हस्ताक्षर में कोई बेमेल है, तो उसकी उम्मीदवारी अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। इसके अलावा, कानूनी मुकदमा चलाया जा सकता है और उम्मीदवार को आरआरबी/आरआरसी द्वारा आयोजित रेलवे भर्तियों के लिए आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

3. एससी/एसटी प्रमाणपत्र(केवल ट्रेन यात्रा के लिए मुफ्त पास के लिए अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए): - स्कैन दस्तावेज़ केवल पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए जिसका आकार 400 केबी से कम हो। प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख पर सुपाठ्य, स्पष्ट, नवीनतम और वैध होना चाहिए।

(ए) उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विसेज सेंटर की सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) का एक हिस्सा है और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) द्वारा प्रबंधित की जाती है। देश भर में 1.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के ऑनलाइन जमा करने और ई-वॉलेट के माध्यम से शुल्क के भुगतान में वांछित सहायता प्रदान करेंगे। कॉमन सर्विसेज सेंटर की सूची वेबसाइट: www.csc.gov.in पर उपलब्ध है। निकटतम सामान्य सेवा केंद्र जानने के लिए, कृपया लिंक खोलें - फाइंड मार्ई सीएससी (<https://findmycsc.nic.in/csc/>)।

(बी) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस अधिसूचना में किसी भी बदलाव पर प्रामाणिक जानकारी और नियमित अपडेट के लिए अक्सर आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर जाएं।

सीईएन 01/2025 में भाग लेने वाले आरआरबी की वेबसाइटें

अहमदाबाद www.rrbahmedabad.gov.in	अजमेर www.rrbajmer.gov.in	भोपाल www.rrbbhopal.gov.in	भुवनेश्वर www.rrbbbs.gov.in
बिलासपुर www.rrbbilaspur.gov.in	चंडीगढ़ www.rrbcdg.gov.in	चेन्नै www.rrbchennai.gov.in	गोरखपुर www.rrbgkp.gov.in
गुवाहाटी www.rrbguwahati.gov.in	जम्मू-श्रीनगर www.rrbjammu.nic.in	कोलकाता www.rrbkolkata.gov.in	मालदा www.rrbmalda.gov.in
मुंबई ¹ www.rrbmumbai.gov.in	मुजफ्फरपुर www.rrbmuzaffarpur.gov.in	पटना www.rrbpatna.gov.in	प्रयागराज www.rrbald.gov.in
रांची www.rrbranchi.gov.in	सिकंदराबाद www.rrbsecunderabad.gov.in	सिलीगुड़ी www.rrbsiliguri.gov.in	तिरुवनंतपुरम www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

(ए) ऑनलाइन आवेदन में मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी की वैधता साबित करने का दायित्व उम्मीदवारों पर होगा.

(बी) महत्वपूर्ण:

- (i) उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ई-मेल आईडी सक्रिय रखना होगा, क्योंकि उनके साथ सभी संचार केवल एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से होंगे.
- (ii) आरआरबी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे.
- (iii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों और आरआरबी के साथ पत्राचार के लिए अपने पंजीकरण नंबर को ध्यान से नोट करें और याद रखें. पंजीकरण संख्या प्रदान करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

14.0 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश

अकाउंट बनाने के बाद, कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निम्न अनुदेशों का पालन करें.

(ए) उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही जानकारी भरनी होगी और जमा करने से पहले उसे दोबारा जांचना होगा.

(बी) आवेदन जमा करने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे.

(सी) परीक्षा का माध्यम: सीबीटी-1 और सीबीटी-2 के लिए प्रश्न अंग्रेजी , हिंदी और 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं (अर्थात , असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में उपलब्ध होंगे. तदनुसार, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूचीबद्ध माध्यमों में से किसी एक को चुनना होगा. सीबीटी-1 और सीबीटी-2 प्रश्न चुनी गई भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाएंगे. हालांकि , सीबीएटी केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा.

(डी) आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार को पैरा 7.1 में बताए अनुसार परीक्षा शुल्क के भुगतान का तरीका चुनने और पैरा 7.0 में दी गई राशि के अनुसार भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया जाएगा.

महत्वपूर्ण: कृपया भुगतान करते समय भुगतान के तरीके की वास्तविकता के साथ-साथ इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिमतारीख और समय के बारे में सावधान रहें. अनाधिकृत वेबसाइटों से बचें.

(ई) अंत में, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की स्वीकृति शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त करने के बाद ही होगी। आवेदक को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सफल भुगतान पर पुष्टि प्राप्त होगी।

15.0 आवेदन में संशोधन :

(ए) अपेक्षित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद , यदि कोई उम्मीदवार 'क्रिएट एन अकॉउंट' फॉर्म में भरे गए 12 विवरणों (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) और चुने गए आरआरबी को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित , परिवर्तित या सही करना चाहता है , तो वह प्रत्येक अवसर के लिए 250/- रुपये का संशोधन शुल्क (वापसी योग्य नहीं) देकर ऐसा कर सकता है। 'क्रिएट एन अकॉउंट' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) और चुने गए आरआरबी में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

(बी) संशोधन शुल्क सभी उम्मीदवारों को देना होगा, चाहे उनका समुदाय और श्रेणी कुछ भी हो।

(सी) यदि कोई उम्मीदवार अपना समुदाय एससी/एसटी से यूआर या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में बदलता है , तो उसे संशोधन शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क में अंतर अर्थात् 250 रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में, उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(डी) इसी प्रकार , यदि कोई उम्मीदवार पूर्व सैनिक/महिला/ट्रांसजेंडर से यूआर/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/गैर पूर्व सैनिक/पुरुष आदि में बदल रहा है , तो उसे संशोधन शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क में अंतर अर्थात् 250 रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में, उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ई) प्रत्येक अवसर के लिए संशोधन शुल्क के भुगतान पर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किसी भी संख्या में किए जा सकेंगे।

(एफ) संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ ऑनलाइन आवेदन में संशोधन इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख और समय के 10 (दस) दिन बाद तक किए जा सकेंगे। संशोधन विंडो 14-05-2025 से 23-05-2025 तक खुली रहेगी। इस अवधि के बाद , आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेंगे।

16.0 अमान्य आवेदन/अस्वीकृतियां:

ए. ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृत किए जा सकते हैं:

- I. विभिन्न आरआरबी या एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन: ऐसे मामले में , सभी आवेदनों को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य की सभी आरआरबी और आरआरसी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
- II) अमान्य फोटो (अर्थात , निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार नहीं) जैसे कि श्वेत एवं श्याम फोटो , आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख के संबंध में 2 महीने से अधिक पुराना फोटो , फोटो कॉपी की गई तस्वीर , पूरे फ्रेम में कम आकार की फोटो, गहरा/विचलित करने वाला/गैर-श्वेत पृष्ठभूमि , समूह फोटो , पृष्ठभूमि पर/सिर के पीछे विचलित करने वाली छाया, कोहनी और/या कोहनी के नीचे के हिस्से को ढकने वाली फोटो और/या छाती के नीचे की तस्वीर , सिर/कंधा झुका हुआ फोटो, बगल/झुका हुआ दृश्य, सिर की तरफ/ऊपर/नीचे , चेहरे पर/उस पार विचलित करने वाली छाया , पूरी तरह से बंद आंखों वाली फोटो, नीचे/बगल में झुकी हुई, आंखों/चेहरे पर बाल, आंखों के शीशे पर चमक, काला चश्मा, खराब रिजोल्यूशन/चमक/तीक्ष्णता/धुंधले/धुंधले रंग/पिक्सेलयुक्त फोटो , अप्राकृतिक त्वचा टोन , हस्ताक्षर या नाम या तारीख वाली फोटो या कोई अन्य निशान या क्षति (फटे , क्रीज वाले, चिह्नित), पहचान में न आने वाले चेहरे की विशेषताएं , उलटी छवि, सेल्फी, टोपी/हेलमेट/हैट के साथ सिर, फोटोकॉपी की गई तस्वीर, खाली छवि आदि.

- III) अमान्य हस्ताक्षर (अर्थात्, निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार नहीं) जैसे कि गैर-सफेद पृष्ठभूमि और/या गैर-काले रंग के हस्ताक्षर का उपयोग , चलती हुई लिखावट के बजाय ब्लॉक/कैपिटल अक्षरों का उपयोग , खराब रिझॉल्यूशन, अधूरी छवि, अधूरे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के अलावा अन्य चित्र, कोई हस्ताक्षर (रिक्त) चित्र आदि नहीं.
- IV) किसी भी आरआरबी/आरआरसी की वंचित सूची में उम्मीदवार का नाम दिखाई देना.
- V) 16.0(ए) के तहत उपरोक्त पैरा में सूचीबद्ध विचलन सहित कोई अन्य अनियमितता जो आवेदन जांच चरण के दौरान, सीबीटी-I/सीबीटी-II/सीबीएटी के लिए ई-कॉल लेटर जारी करने से पहले/बाद में या दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान पार्द जाती है.

बी. अस्वीकृत आवेदन: अस्वीकृत आवेदनों का विवरण (अस्वीकृति के कारण सहित) संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर लाँग इन करके देखा जा सकता है, जो अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा. अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क की कोई वापसी नहीं की जाएगी. उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर एसएमएस और ई-मेल अलर्ट भी भेजे जाएंगे. उम्मीदवारों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा.

17.0 ई-कॉल लेटर से संबंधित निर्देश:

- (ए) सीबीटी शेड्यूल के बारे में जानकारी और विवरण तथा ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए लिंक पैरा 13(जे) में सूचीबद्ध आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए जाएंगे. योग्य उम्मीदवारों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा.
- (बी) योग्य उम्मीदवार सीबीटी/सीबीएटी के लिए अपने ई-कॉल लेटर पैरा 13(जे) में दी गई आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों से सीबीटी/सीबीएटी की तारीख से लगभग 4 (चार) दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, परीक्षा के शहर के बारे में सूचना लगभग 10 (दस) दिन पहले दी जाएगी.
- (सी) उम्मीदवारों को डाक से कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा.
- (डी) सीबीटी/सीबीएटी के बारे में विस्तृत जानकारी और निर्देश ई-कॉल लेटर के साथ दिए जाएंगे. उम्मीदवारों को उन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए. निर्देशों का पालन न करने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है.
- (ई) **निःशुल्क यात्रा सुविधा:** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे उम्मीदवार जो निःशुल्क रेल यात्रा के लिए पात्र हैं, उनके ई-कॉल लेटर में ही निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण (स्लीपर क्लास रेलवे पास) होगा. ऐसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने ई-कॉल लेटर और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी प्रस्तुत करके रेल आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी. यात्रा के दौरान, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा करने के लिए अपना मूल समुदाय प्रमाण-पत्र और पहचान का मूल निर्धारित प्रमाण साथ लाना चाहिए , अन्यथा उन्हें बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा और तदनुसार उनसे शुल्क लिया जाएगा.
- (एफ) परीक्षा के दौरान, उम्मीदवारों को अपना ई-कॉल लेटर एक वैध मूल फोटो पहचान-पत्र (जैसे , मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यदि उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी वैध पहचान-पत्र , स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय का फोटो पहचान-पत्र (यदि अभी पढ़ रहा है) आदि) के साथ परीक्षा हॉल में लाना होगा, अन्यथा उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- (जी) उम्मीदवारों को उसी रंगीन पासपोर्ट फोटो की एक प्रति भी लानी होगी , जो उन्होंने सीबीटी/सीबीएटी के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की थी.

18.0 मूल दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के प्रारूप का सत्यापन

- (ए) डीवी के लिए चुने गए उम्मीदवारों को डीवी के समय अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ-साथ स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के दो सेट प्रस्तुत करने होंगे.
- (बी) इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को अपने डीवी की तारीख से पहले फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां (असली रंग में) पोर्टल - <https://oirms-ir.gov.in/rbvd> के माध्यम से अपलोड करनी चाहिए.
- (सी) सभी प्रमाण पत्र केवल अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए. जहां प्रमाण पत्र अंग्रेजी/हिंदी में नहीं हैं , वहां स्व-सत्यापित अनुवादित संस्करण (हिंदी/अंग्रेजी में) जहां भी/जब भी आवश्यक हो , प्रस्तुत किया जाना चाहिए. डीवी के दौरान प्रस्तुत प्रमाण पत्र सम्बति से निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए.
- (डी) डीवी की तारीख पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जब्त की जा सकती है.

19.0 अनुचित प्रथाओं का प्रयोग करना:

(ए) यदि कोई उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है, जैसे जालसाजी, छद्मवेश धारण करना, धोखाधड़ी, कदाचार, प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रयोग या प्रयोग करने का प्रयास, गलत बयानी या तथ्यों को दबाना , गलत सूचना देना या गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना आदि , तो उसे रेलवे में नियुक्ति से वंचित कर दिया जाएगा और यदि वह पहले से ही नियुक्त है , तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा. ऐसे उम्मीदवार को उचित समझे जाने पर उचित कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है. (ध्यान दें कि दिनांक 21.06.2024 से प्रभावी "सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम , 2024" अधिनियम की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है)

(बी) भर्ती प्रक्रिया के संबंध में उम्मीदवार के संबंध में अनुचित हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार , अवांछित या अनुचित प्रभाव का कोई भी प्रयोग, उम्मीदवार की अयोग्यता, उसके संबंध से वंचित करने का कारण बनेगा. ऐसे उम्मीदवार कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे.

(सी) **चेतावनी:** रेलवे में नियुक्ति करवाने के लिए बेर्इमान तत्वों और नौकरी रैकेटियर या तो प्रभाव के माध्यम से या अनुचित और अनैतिक साधनों का उपयोग करना आदि से सावधान रहें. आरआरबी भर्ती के लिए किसी भी एजेंट या कोचिंग सेंटर की नियुक्ति नहीं करता है. उम्मीदवारों को किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के खिलाफ चेतावनी दी जाती है. उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाता है.

20.0 विविध:

(ए) भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किए जाएंगे. किसी भी विसंगति के मामले में, संबंधित आरआरबी किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने और उस आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखेंगे.

(बी) आरआरबी किसी भी उम्मीदवार की पहचान को सत्यापित करने और उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं आयोजित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं.

(सी) आरआरबी किसी भी चरण में अतिरिक्त सीबीटी/सीबीएटी/डीवी/एमई (यदि आवश्यक हो) आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं. आरआरबी इस सीईएन में अधिसूचित एएलपी के पद के लिए किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए किसी भी भर्ती प्रक्रिया के हिस्से या पूरी प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं.

(डी) पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति , मुफ्त रेल पास जारी करना , गलत सूचना के लिए दंडात्मक

कार्रवाई, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, सीबीटी का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आबंटन, चयन आदि से संबंधित सभी मामलों में आरआरबी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में आरआरबी द्वारा कोई पूछताछ या पत्राचार नहीं किया जाएगा.

(ई) आरआरबी किसी भी अनजाने/टाइपोग्राफिकल त्रुटियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ऐसी त्रुटियों को ठीक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अनजाने/टाइपोग्राफिकल त्रुटि(ओं) के कारण , यदि किसी उम्मीदवार को सीबीटी/सीबीएटी/सीबीटीएसटी/दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है या परिणाम घोषित किया जाता है या पैनल में शामिल किया जाता है या नियुक्त किया जाता है , तो आरआरबी परिणामों को रद्द/संशोधित करने और ऐसे उम्मीदवारों के पैनल को रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि पहले से ही नियुक्त है , तो वह योग्यता और अवसर की समानता के सिद्धांत को मौलिक आधार के रूप में सुनिश्चित करते हुए सेवा से हटाए जाने के लिए उत्तरदायी होगा.

(एफ) उनके आवेदन के अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाने और सीबीटी को ई-कॉल लेटर प्राप्त होने के बाद इस सीईएन से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी मुद्दे , संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएंगे, जिसके अंतर्गत संबंधित आरआरबी द्वारा चुना गया उम्मीदवार स्थित है. हालांकि , किसी भी कारण से आवेदन अस्वीकार होने के कारण उसकी उम्मीदवारी को खारिज किए जाने की स्थिति में, इस सीईएन से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी मुद्दे, तेलंगाना राज्य के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद/उच्च न्यायालय के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएंगे.

(जी) उम्मीदवारों को समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्दिष्ट अधिसूचना के खिलाफ जारी किए गए किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/महत्वपूर्ण सूचना के लिए आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों की जांच करने की सलाह दी जाती है.

(एच) व्याख्या के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में , अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण और बाद में संशोधन/शुद्धिपत्र/महत्वपूर्ण सूचना , जैसा कि आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों में प्रकाशित किया गया है , को अंतिम माना जाएगा.

21.0 इस सीईएन में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर:

भर्ती प्रक्रिया के चरण	सीबीटी = कंप्यूटर आधारित टेस्ट , सीबीएटी = कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण , डीवी = दस्तावेज़ सत्यापन , एमई = चिकित्सा परीक्षा
आरक्षण / आयु में छूट श्रेणी	सीसीएए = कोर्स पूरा किया हुआ एक्ट अप्रेंटिस , ईबीसी = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग , ईडब्ल्यूएस = आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग , एक्सएसएम = भूतपूर्व सैनिक , ओबीसी-सीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग - क्रीमी लेयर , ओबीसी-एनसीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर , एससी = अनुसूचित जाति , एसटी = अनुसूचित जनजाति , यूआर = अनारक्षित (सामान्य)
रेलवे जोन	सीआर = मध्य रेलवे , ईसीआर = पूर्व मध्य रेलवे , ईसीओआर = पूर्व तट रेलवे , ईआर = पूर्वी रेलवे , एनआर = उत्तर रेलवे , एनसीआर = उत्तर मध्य रेलवे , एनईआर = पूर्वोत्तर रेलवे , एनएफआर = पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे , एनडब्ल्यूआर = उत्तर पश्चिमी रेलवे , एसआर = दक्षिणी रेलवे , एससीआर = दक्षिण मध्य रेलवे , एसईआर = दक्षिण पूर्वी रेलवे , एसईसीआर = दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे , एसडब्ल्यूआर = दक्षिण पश्चिमी रेलवे , डब्ल्यूआर = पश्चिमी रेलवे , डब्ल्यूसीआर = पश्चिम मध्य रेलवे आरआरबी = रेलवे भर्ती बोर्ड , आरआरसी = रेलवे भर्ती सेल
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)	एडीआई = अहमदाबाद , एआईआई = अजमेर , बीबी = मुंबई , बीबीएस = भुवनेश्वर , बीपीएल = भोपाल , बीएसपी = बिलासपुर , सीडीजी = चंडीगढ़ , जीकेपी = गोरखपुर , जीएचवाई = गुवाहाटी , जाट = जम्मू श्रीनगर , केओएल = कोलकाता , एमएएस = चेन्नई , एमएलडी = मालदा , एमएफपी = मुजफ्फरपुर , पीआरवाईजे = प्रयागराज पीएनबीई = पटना , आरएनसी = रांची , बीएनसी = बैंगलुरु , एससी = सिकंदराबाद , एसजीयूजे = सिलीगुड़ी , टीवीसी = तिरुवनंतपुरम
सामान्य	एएलपी=सहायक लोको पायलट , सीईएन=केंद्रीकृत रोजगार सूचना , आईडी=पहचान , एलटीआई=बाएं अंगूठे का निशान , ओटीपी=वन टाइम पासवर्ड , पीएसयू=सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम , पीयू=उत्पादन इकाई , ईक्यू=शैक्षणिक योग्यता
संस्थाएं / परिषद / प्रमाणपत्र	डीजीटी = प्रशिक्षण महानिदेशालय , आईटीआई = औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , एनएसी = राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र , एनटीसी = राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र , एनओसी = अनापत्ति प्रमाणपत्र , एनसीवीटी = राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद , एससीवीटी = राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ,

सीईएन 01/2025: पोस्ट-वार पैरामीटर(मापदंड)

श्रेणी सं.	पद_का_नाम	7वें कें.आ. में स्तर	वेतन	चिकित्सा मानक	बैचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता
1	सहायक लोको पायलट	2	1990 0	ए1	उपयुक्त नहीं	<p>ए) मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्टूमेंट मैकेनिक, मिलराइट/मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक (रेडियो और टीवी), इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक (मोटर वाहन), वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और कॉइल वाइंडर, मैकेनिक (डीजल), हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के ट्रेडों में आईटीआई .</p> <p>(या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेडों में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप</p> <p>(या) बी) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस तीन वर्ष का मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (या) आईटीआई के बदले में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इन इंजीनियरिंग विषयों की विभिन्न धाराओं का संयोजन. नोट: इंजीनियरी में डिप्लोमा के बदले में उपरोक्त इंजीनियरी विषयों में डिग्री भी स्वीकार्य होगी.</p>

सीईएन 01/2025: एएलपी की आरआरबी और जोन-वार रिक्ति विवर

श्रेणी	आरआरबी	जोन	यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्लूएस	कुल	एक्स एस.एम.
	अहमदाबाद	परे	223	74	37	130	33	497	50
अजमेर		उपरे	162	262	73	133	49	679	69
		पमरे	109	4	0	14	14	141	14
प्रयागराज		उरे	33	12	6	21	8	80	8
		उमरे	218	72	50	110	58	508	51
भोपाल		परे	23	12	0	11	0	46	5
		पमरे	221	103	53	130	111	618	62
भुवनेश्वर		पूतरे	454	205	119	121	29	928	93
बिलासपुर		दपूमरे	228	86	43	155	56	568	57
चंडीगढ़		उरे	188	56	28	117	44	433	44
चेन्नै		दरे	155	56	37	73	41	362	37
गोरखपुर		उपूरे	32	12	28	21	7	100	10
गुवहाटी		उसरे	13	4	2	8	3	30	3
जम्मू-श्रीनगर		उरे	4	3	1	0	0	8	1
कोलकाता		दपूरे	95	39	19	61	48	262	27
		पूरे	194	71	39	103	51	458	46
मालदा		पूरे	171	66	37	103	33	410	42
		दपूरे	10	4	2	6	2	24	2
मुंबई		दमरे	9	3	2	6	2	22	2
		मरे	152	56	28	102	38	376	38
		परे	138	51	26	93	34	342	34
मुजफ्फरपुर		पूमरे	36	13	7	24	9	89	9
पटना		पूमरे	14	5	2	9	3	33	3
रांची		पूमरे	234	87	43	156	58	578	58
		दपूरे	255	105	45	164	66	635	63
सिकंदराबाद		दमरे	435	136	70	216	110	967	98
		पूतरे	216	80	40	144	53	533	53
सिलिगुडी		उसरे	39	14	6	26	10	95	10
तिरुवनंतपुरम		दरे	55	25	15	32	21	148	15
कुल			4116	1716	858	2289	991	9970	1004

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी * सुपुत्र/सुपुत्री *
 श्री/श्रीमती* गाँव/कस्बे* राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
 / जिला/मण्डल* के/की निवासी है और जाति*/जनजाति से संबंधित है।

जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.

संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ शासित प्रदेश) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया है।]

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश , 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962.

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962.

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964.

संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967.

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968.

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970.

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978.

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978.

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989.

संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990.

संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991.

संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996.

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002.

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2007.

जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है.

2. यह नियम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती* पिता/माता* श्री/श्रीमती/कुमारी को
गांव/कस्बा* ... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* का जो जाति/जनजाति से
संबंधित है जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है , दिनांक
..... द्वारा जारी किया गया।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी* और/या* उनका/उनकी* परिवार आमतौर पर राज्य/संघ राज्य
क्षेत्र* के गांव/कस्बे* जिला/मंडल* में निवास रहते हैं।

स्थान

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पदनाम

(कार्यालय की मुहर के साथ)

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं।

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें.% उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू नहीं है।

नोट: (ए) यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम अधिकारी:

1. जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अपर डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।

2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट.

3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे नहीं हैं।

4. उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

5. केन्द्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

6. प्रशासक/प्रशासक के सचिव (लक्ष्मीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के
अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

.....सुपुत्र/सुपुत्री*
श्री/श्रीमती

गांव/कस्बा*जिला/मंडल*राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
.....केसमुदाय से संबंधित
हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या
.....दिनांकित
के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है.**

श्री/श्रीमती/कुमारी
और/या उसका/उसकी परिवार सामान्यतः
राज्य/केंद्र राज्य क्षेत्र केजिले/मंडल में निवास करते
हैं.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/09/93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है और जिसे भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13/09/2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(निवास) द्वारा संशोधित किया गया है.***

दिनांक:

जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त
/कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी

कार्यालय मुहर

* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें हटा दें.

** प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण देना होगा, जिसमें उम्मीदवार की जाति ओबीसी बताई गई है.

*** जैसा समय-समय पर संशोधित किया गया है।

नोट:

ए) यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्य रूप से निवास करता है' का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

बी) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।

(ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे नहीं हो और उस क्षेत्र का उप-डिविजनल अधिकारी हो जहां उम्मीदवार और / या उसका परिवार रहता है।

केन्द्रीयकृत रोजगार सूचना संख्या 1000/2013 के तहत पद के लिए आवेदन किया था। उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र का प्रारूप

.....

ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवार द्वारा स्व-घोषणा

“मैं,

.....

सुपुत्र/सुपुत्री

श्री

.....

गांव/कस्बा/शहर

जिला

राज्य

का

निवासी हूँ, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं

(अपनी उपजाति बताएं) समुदाय से संबंधित हूँ, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था..(एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ और इसके बाद के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था. (आरईएस) दिनांक 13.09.2017 के माध्यम से संशोधन किया गया है।

स्थान:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक:

उम्मीदवार के नाम

आरआरबी पंजीकरण संख्या :

सरकार
 (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम व पता)

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण

प्रमाणपत्र सं..... दिनांक

वर्ष के लिए वैध.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री/पत्नी का स्थायी निवासी
 गांव/गली डाकघर जिला
 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पिन कोड
 जिसका फोटो नीचे सत्यापित है , आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से संबंधित है ,
 क्योंकि उसके/उसकी “परिवार”** की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष के लिए 8 लाख
 रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है. उसके/उसकी परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति
 नहीं है***:

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड.

2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति
 से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में
 मान्यता प्राप्त नहीं है.

आवेदक का हाल ही का
 पासपोर्ट आकार का फोटो।
 इस प्रमाण पत्र को जारी
 करने वाले प्राधिकारी द्वारा
 सत्यापित किया जाना
 चाहिए

कार्यालय की मुहर सहित

हस्ताक्षर
 नाम
 पदनाम

* नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि.

** नोट 2: इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन और साथ ही उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे.

***नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है.

आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं:

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त.
- (ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट.
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो और
- (iv) उप-मंडल अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता हो.

केंद्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 01/2025 के तहत दस्तावेज़ सत्यापन के समय आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले परीक्षा शुल्क में छूट के लिए प्रोफ़ॉर्मा
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण

प्रमाणपत्र सं

1. उम्मीदवार का नाम:

.....

2. पिता का नाम:

.....

3. आयु:

4. आवासीय पता:

.....
.....
.....

5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों एवं आंकड़ों में):

.....

दिनांक:

हस्ताक्षर:

नाम:

जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर:

नोट: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) का अर्थ ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनकी पारिवारिक आय 50,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं:

- (1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी
- (2) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के मौजूदा सांसद
- (3) उस जिले के व्यक्तियों के लिए राज्य सभा के मौजूदा सांसद, जिसमें ये सांसद सामान्य रूप से रहते हैं।
- (4) देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के लिए केंद्रीय मंत्री।

केंद्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 01/2025 के तहत दस्तावेज सत्यापन के समय अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला परीक्षा शुल्क माफी का प्रारूप

अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा शुल्क में छूट के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा पत्र

“मैं,

पुत्र/पुत्री श्री

गांव/कस्बा/शहर

जिला

राज्य

..... का निवासी हूँ और एतद्वारा घोषणा
करता हूँ कि मैं (केंद्र सरकार द्वारा
अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/जैन/पारसी) से संबंधित हूँ.

दिनांक:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान:

उम्मीदवार का नाम

आरआरबी पंजीकरण संख्या

नोट: परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प-पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात् मुस्लिम / सिख / ईसाई / बौद्ध / जैन / पारसी) से संबंधित हैं।

सीईएन संख्या 01/2025 के तहत

सहायक लोको पायलट के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा नेत्र विशेषज्ञ से प्राप्त किए जाने वाले चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा

मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी की जांच की है, जिन्होंने भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद के लिए आवेदन किया है। रेलवे में नियक्ति के लिए आवश्यक मानक के संदर्भ में उनकी दृष्टि का परीक्षण किया गया है और परिणाम निम्नानुसार हैं:

यहाँ अपना रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएँ, जिसका आकार 3.5 सेमी x 4.5 सेमी हो (रंगीन फोटोग्राफ वही होना चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया गया हो)। फोटोग्राफ को नेत्र विशेषज्ञ द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दूर दृष्टि		निकट दृष्टि		रंग दृष्टि		द्वितीय दृष्टि, क्षेत्र दृष्टि और रात्रि दृष्टि	
आवश्यक मानक	वास्तविक अवलोकन /मूल्य	आवश्यक मानक	आवश्यक मानक	आवश्यक मानक	वास्तविक अवलोकन /मूल्य	आवश्यक मानक	वास्तविक अवलोकन /मूल्य
6/6, 6/6 बिना चश्मे के फॉर्गिंग टेस्ट के साथ (+2डी स्वीकार नहीं करना चाहिए)		एसएन. 0.6, 0.6 बिना चश्मे के		सामान्य		सामान्य	

श्री/श्रीमती/कुमारी
उपरोक्त दृष्टि मानकों के पूर्णतः अनुरूप हैं/अनुरूप नहीं हैं (जैसा भी मामला हो, 'पूर्णतः अनुरूप हैं' या 'अनुरूप नहीं हैं' में से किसी एक को काट दें)।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने लैसिक सर्जरी या अपवर्तक त्रुटि को ठीक करने के लिए कोई सर्जरी नहीं करवाई है।
नेत्र विशेषज्ञ का नाम

नेत्र विशेषज्ञ का पंजीकरण क्रमांक.....

स्थान:

दिनांक:

(नेत्र विशेषज्ञ के हस्ताक्षर एवं मुहर)

सहायक लोको पायलट के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला स्व-घोषणा का प्रारूप
लैसिक या अन्य सुधारात्मक नेत्र शल्य चिकित्सा के संबंध मीईएन संख्या 01/2025 के अंतर्गत

मैं,

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

.....

पुत्र/पुत्री

.....
.....

के निवासी

.....
.....

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने लैसिक या कोई अन्य सुधारात्मक नेत्र शल्य चिकित्सा नहीं करवाई है।

मैं यह भी सहमत हूँ कि यदि मेरी घोषणा झूठी पाई जाती है, तो मुझे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और रेलवे में सभी भर्तियों से वंचित कर दिया जाएगा।

स्थान :

दिनांक:

हस्ताक्षर:

नाम:

आरआरबी पंजीकरण संख्या.

सीईएन संख्या 01/2025 के तहत पूर्व सैनिक कोटा प्राप्त करने के लिए अपने कमांडिंग अधिकारी से प्राप्त रोजगार के संबंध में
आवेदन जमा करने की अंतिमतारीख पर सेवारत पूर्व सैनिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

1. यह सूचित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____, जो _____ इकाई/कार्यालय
में _____ (रेंक) के रूप में कार्यरत हैं, ने आरआरबी सीईएन _____ दिनांक _____ के तहत _____ के
पद के लिए आवेदन किया है।

2. मैं, उपलब्ध जानकारी के आधार पर, श्री/श्रीमती/कुमारी _____ संख्या _____, जो
_____ (रेंक) के रूप में कार्यरत हैं, के संबंध में निम्नानुसार प्रमाणित करता हूँ

ए) वह पूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करने के लिए _____ वर्ष (शब्दों में _____) की सेवा
अवधि पूरी कर लेगा/कर चुका है, बशर्ते कि वह _____ (तारीख) को अन्य शर्तों को पूरा करे।

बी) वह इस प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख को _____ वर्ष की सेवा (शब्दों में _____)
पूरी करेगा और सेना/वायुसेना/नौसेना सेवा से छुट्टी मिलने पर _____ वर्ष (शब्दों में
_____) पूरी करेगा

सी) वह अपनी सेवा से छुट्टी और नियुक्ति _____ (दिनांक/माह/वर्ष प्रारूप में) को पूरी कर सकता है।
डी) उसे पद पर चयनित होने पर सेवामुक्ति किया जाएगा।

स्थान:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

कमांडिंग ऑफिसर

कार्यालय मुहर

नाम एवं पदनाम/नियुक्ति/ इकाई

**केंद्रीय कर संख्या 01/2025 के तहत पूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर सिविल रोजगार के संबंध में
पूर्व सैनिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले स्व-घोषणा का प्रारूप**

मैं समझता हूं कि मैं इस केन्द्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) के अंतर्गत भर्ती के संबंध में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किसी रिक्ति पर नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी भी समय पूर्व सैनिकों को स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाकर सिविल सेवा (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम , स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय , राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सहित) में कोई रोजगार प्राप्त किया हो.

मैं इसके साथ ही निम्नलिखित तथ्य भी घोषित करता हूं:

ए) मैंने सी.ई.एन. के पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने से पहले पूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर कोई सिविल रोजगार प्राप्त नहीं किया है।

बी) मैंने सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाया है तथा मैंने सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले सी.ई.एन. में अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन(ओं) के विवरण के बारे में अपने नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचन दिया है, जिसके लिए मैंने आवेदन किया है। वर्तमान नियोक्ता से स्व-घोषणा/वचन प्रस्तुत करने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(जो लागू न हो उसे काट दें)।

स्थान:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

नाम:

रोल नं:

आरआरबी पंजीकरण संख्या